न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टीए/2741/2018/करौली

केदारलाल पुत्र श्री कुन्दन जाति ब्राह्मण निवासी महमदपुर, तहसील सपोटरा, जिला करौली

अपीलाण्ट

बनाम

1– पूर्व महाराजा कृष्णपाल पुत्रश्री सुरेन्द्रपाल, जाति राजपूत निवासी भंवरविलास पैलेस करौली तहसील व जिला करौली।
2– राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, सपोटरा,जिला करौली।
3– श्रीमति किरण देवी पत्नि श्री मानसिंह जाति जाट निवासी महमदपुर, तहसील सपोटरा, जिला करौली

रेस्पोडेण्ट्स

खण्डपीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य
डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित
श्री अजीतसिंह राठौड, अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री रोहित सोनी, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1
श्री शैलेन्द्र राणा, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट संख्या 3

निर्णय

दिनांक 4–2–2021

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27–3–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट/वादी द्वारा रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के विरूद्ध एक दावा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का उपखण्ड अधिकारी, सपोटरा के न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि ग्राम महमदपुर स्थित आराजीयात खसरा नंबर 242 रकबा 8 बिस्वा प्रतिवादी/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की माता पूर्व महारानी श्रीमति शेखावतजी की खातेदारी काश्तकारी की भूमि रही है । 40 वर्ष पूर्व महारानी शेखावतजी द्वारा उक्त आराजी दान किए जाने से अपीलाण्ट/वादी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है । अतः अपीलाण्ट/वादी दान द्वारा दी गई आराजी पर कब्जे काश्त होने से खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है । अतः

अपीलाण्ट/वादी को खातेदार घोषित किया जाकर रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । उप जिला कलेक्टर, सपोटरा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21–4–16 द्वारा वादी डिक्री कर अपीलाण्ट को खातेदार घोषित कर दिया । उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलाण्ट किरणदेवी द्वारा एक अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 27–3–2018 द्वारा प्रकरण रिमाण्ड कर दिया । प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस प्रस्तुत कर तर्क दिया कि वादग्रस्त आराजीयात रेस्पोडेण्ट संख्या 1 पूर्व महाराजा श्री कृष्णचंदपाल की माता श्रीमतिशेखावतजी की खातेदारी की थी जो मौखिक बखशीश द्वारा अपीलाण्ट को 40 वर्ष पूर्व प्राप्त हुई थी । तभी से अपीलाण्ट द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है । इस संबंध में खसरा गिरदावरी संवत 2030 लगायत 2033, 2050 लगायत 2053, 2062 लगायत 2065, 2066 लगायत 2069 एवं संवत 2070 लगायत 2073 से सिद्ध है । रेस्पोडेण्ट संख्या 3 का कोई कब्जा काश्त नहीं है जिसकी पुष्टि तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट से होती है । रेस्पोडेण्ट संख्या 3 द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तोवजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि उसका काश्तकारी स्वत्व निहित है । वादग्रस्त आराजी की रेकार्डेड खातेदार श्रीमति शेखावत जी थी जिनके स्वर्गवास होने के कारण उनके पुत्र द्वारा वाद पत्र में कोई जबावदावा प्रस्तुत नहीं किया । इस कारण रिकार्ड पर प्रस्तुत दस्तोवजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर वाद स्वीकार किया गया था । प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थना–पत्रो को निर्णित किए बिना ही मूल अपील आंशिक स्वीकार कर रिमाण्ड करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय निरस्त कर उपखण्ड अधिकारी, सपोटरा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री बहाल रखी जावे ।

4– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने बहस में तर्क दिया कि अपीलाण्ट वादी द्वारा तथ्यों को छिपाकर अपना कब्जा बताते हुए डिक्री प्राप्त की है । अपीलाण्ट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं था । विवादित भूमि बंजड थी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 3 इस अपने पालतू पशुओं को बांधने एवं चारा ईंधन रखने व सोने उठने बैठने के काम में लेती है । अपीलाण्ट वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष कोई दानपत्र पेश नहीं किया है न ही ऐसा कोई दस्तोवज पेश किया है जिससे उसका हक साबित हो । खसरा गिरदावरी

संवत 2030 से 2033 प्रस्तुत की गई है जबकि गिरदावरी न तो रिकार्ड आफ राईट है और ना ही गिरदावरी के आधार पर खातेदारी हक तय किए जा सकते हैं । तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट भी एकपक्षीय बनाई गई है । रेस्पोडेण्ट संख्या 3 विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं थी इसलिए उसके द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत की अपील प्रस्तुत की गई थी जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिक रूप से स्वीकार का अपील को आंशिक स्वीकार कर प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । अतः अपील खारिज की जावे। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में आर.बी.जे.2017 पेज 189 व 625, आर.बी.जे. 2019(26) पेज 10 व 714 न्यायिक दृष्टांत उधृत किए ।

5– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया ।

6– यह निर्विवाद है कि ग्राम महमदपुर में स्थित खसरानंबर 242 रकबा 8 बिस्वा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पूर्व महाराज कृष्णचन्द्रपाल करौली की माँ महारानी साहिबा शेखावत जी की खातेदारी की है । महारानी साहिबा शेखावत पूर्व में ही फौत हो चुकी है । विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट द्वारा एक वाद उक्त विवादित भूमि को दान में देना बताया जाकर खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया । जिस पर विचारण न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा कोई जबावदावा प्रस्तुत नहीं किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई जबकि कभी भी कब्जे बाबत मौका रिपोर्ट नहीं मंगाई जा सकती न ही उसका कोई विधिक आधार है । फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलाण्ट/वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर अपने एकपक्षीय निर्णय दिनांक 21–4–16 से वाद डिक्री कर अपीलाण्ट को खातेदार घोषित कर दिया जिसे किसी भी दृष्टि से विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता । इसके विपरीत एक अनजबी व्यक्ति द्वारा जो कि रेस्पोडेण्ट संख्या 3 है, ने भी उक्त विवादित भूमि पर कबजे के आधार पर प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा आंशिक स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया गया ।

7– हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 3 दोनों ही अपना–अपना कब्जा बताते है । अपीलाण्ट द्वारा किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से खातेदार साबित नहीं कराया गया है न ही दान पत्र पेश किया गया है केवल खसरा गिरदावरी प्रस्तुत की है। जिसके आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है। रेस्पोडेण्ट संख्या 3 द्वारा भी ऐसा कोई पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत नहीं

किया गया है जिससे कि उसकी खातेदारी सिद्ध होती हो। ऐसी स्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा जो प्रकरण को रिमाण्ड किया गया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नही हैं । अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट दोनों को ही दस्तावेजी साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड के आधार पर खातेदारी साबित करनी है परन्तु दोनों ही न तो विचारण न्यायालय के समक्ष न ही अपीलीय न्यायालय के समक्ष रेकार्ड से खातेदार साबित कराया गया है ।

चूंकि रेस्पोडेण्ट संख्या 3 विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं था न ही रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा भी जबावदावा प्रस्तुत किया गया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा जो प्रकरण को रिमाण्ड करने का निर्णय दिया गया है । वह विधिसम्मत है । इससे अपीलाण्ट के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। न्याय का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि दोनों पक्षों को सुनकर साक्ष्य लेकर आदेश पारित करना चाहिए । इस प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है जिसमें रेस्पोडेण्ट को नहीं सुना गया है । हमारी सुविचारित राय में विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड के आधार पर दस्तावेजी प्रमाणों से एवं साक्ष्य सबूतों के आधार दावे एवं जबावदावे के आधार पर तनकियात बनाकर दोनों पक्षों की सुनवाई कर विधिसम्मत निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

8– फलस्वरूप यह अपील आंशिक स्वीकार की जाती है । भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा पारित निर्णय 27–3–2018 यथावत रखा जाता है । उप जिला कलेक्टर, सपोटरा का निर्णय दिनांक 21–4–17 निरस्त कर प्रकरण उपजिला कलेक्टर, सपोटरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्षों की सुनवाई कर राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण करने के उपरान्त पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें । उभय पक्षकारान को उपजिला कलेक्टर, सपोटरा के समक्ष दिनांक 24–2–2021 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0श्रवणकुमार बुनकर) **(सुनील कुमार शर्मा)**

सदस्य **सदस्य**